

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
अंकेक्षण अनुभाग


क्रमांक : प.18(4) वित्त/अंकेक्षण/2020

जयपुर, दिनांक : 09/07/2020

अधिसूचना


राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को राजस्थान पुलिस वेलफेयर सोसायटी के वार्षिक लेखों के अंकेक्षण हेतु एतद् द्वारा अधिकृत करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

  
(सुधीर कुमार शर्मा)  
विशिष्ट शासन सचिव,  
वित्त (व्यय) विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना की प्रति भेजकर लेख है कि इसका प्रकाशन शीघ्र राजस्थान के असाधारण राजपत्र में कराने का कष्ट करें।

  
(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्र)  
संयुक्त शासन सचिव